



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट- सी सं० - 1413 वर्ष 2026

हसरातून

..... याची(गण)

बनाम

उ०प्र० राज्य तथा 3 अन्य

..... प्रत्यर्थी(गण)

याची (गण) के अधिवक्ता : कार्तिकेय दूबे, मनमोहन मिश्रा

प्रत्यर्थी (गण) के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता

न्यायालय सं० 6

मा० प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति

1. याची के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख का परिशीलन किया।
2. इसमें पारित किये जाने के लिए प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विरोधी पक्षकार का नोटिस देने से तथा इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई लाभदायक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। फिर भी, यदि विरोधी पक्षकार आदेश द्वारा व्यथित महसूस करता है आदेश के उपांतरण/फेरफार की मांग करने के इसके अधिकार को सुरक्षित रखा जा रहा है।
3. वर्तमान रिट याचिका में याची द्वारा ईप्सित मूलभूत अनुतोष निर्धारित अवधि में उ०प्र० राजस्व संहिता, 2006 की धारा 34 के अधीन मामला सं० 4692 वर्ष 2025 (हसरातून बनाम राहीमुन) तथा कम्प्यूटरीकृत मामला सं० टी202505310104692 का विनिश्चय करने के लिए तहसीलदार, तहसील बंसगाँव, जिला गोरखपुर को निदेश देने के संबंध में है।
4. याची के अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उपनियम (7) के अन्तर्गत अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार, इस प्रकार के आवेदनों का विनिश्चय समयबद्ध अवधि में किया जाना चाहिए। नियम 34 का उपनियम (7) निम्नवत् पठित है:
"(7) तहसीलदार मामले के पंजीकरण की तिथि से 45 दिनों के अवधि के अन्दर 20 नामांतरण के विवादित मामले का विनिश्चय करने के लिए प्रयास करेगा तथा यदि कार्यवाही को इस प्रकार के अवधि के अन्दर समाप्त नहीं किया जाता है इसके कारण को अभिलिखित किया जायेगा।"
5. आगे यह तर्क दिया गया है कि यद्यपि पूर्वोक्त अवधि पहले ही समाप्त हो गया है लेकिन आज की तिथि तक मामले में अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है, अतः रिट याचिका प्रस्तुत है।
6. मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में, तहसीलदार, बंसगाँव जिला गोरखपुर को उ०प्र० राजस्व संहिता नियमावली, 2016 के नियम 34 के उपनियम (7) के अन्तर्गत अन्तर्विष्ट प्रावधानों के अनुसार पूर्वोक्त मामले का विनिश्चय करने का निदेश देते हुए अंतिम रूप से निपटाया जाता है जब तक कोई विधिक बाधा न हो।

जनवरी, 20, 2026

(प्रकाश पाड़िया, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"